न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 18/2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 राजेश अग्रवाल पुत्र बजरंग कुमार (विक्रेता) मैसर्स बजरंग कुमार एण्ड सन्स, पोस्ट ऑफिस रोड़, सुमेरपुर 2 बजरंग कुमार अग्रवाल (मालिक) मैसर्स बजरंग कुमार एण्ड सन्स, पोस्ट ऑफिस रोड़, सुमेरपुर 3 मोहनलाल घांची, (मालिक) मैसर्स रवि इण्डस्ट्रीज, पुराना जाखोड़ा मार्ग, सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

–: निर्णय :–

दिनांक 29.11.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 02.04.2016 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की फर्म मैसर्स बजरंग कुमार एण्ड सन्स, पोस्ट ऑफिस रोड़, सुमेरपुर से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) 60 पेक बोतल में से चार मूल पैक बोतल को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–511 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) को Sub Standerd and misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) का माना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा को Sub Standerd and misbranded स्तर के तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा न तो अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म से किसी प्रकार का नमूना लिया गया तथा न ही अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म पर कोई कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के खिलाफ विधि विरूद्ध रूप से प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में न तो सामग्री अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म से जब्त की है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 3 को इसकी कोई जानकारी है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध प्रकरण ड्रोप करावें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.04.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की फर्म से तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) के नमूने को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–511 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./376/एक्ट/2016/407 दिनांक 13.04.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–511 को Sub Standerd and misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 50 व 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा निम्न क्वालिटी एवं मिथ्याछाप खाद्य वस्तु का विर्निमाण/विक्रय/भण्डारण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 50 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक पर पृथक पृथक 50,000/– कुल 1,00,000/– तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर 2,00,000/– कुल 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.11.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली